शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 23/2023/बी-2-468 /दस-2023-आर-2/2016

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनाँक 28 जुलाई, 2023**

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम त्रैमास (माह अप्रैल, 2023 से जून, 2023 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/29801 दिनाँक 18 जुलाई 2023 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आँकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह अप्रैल, 2023 से जून, 2023 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आँकड़ों का विभागीय आँकड़ों से मिलान के लिये दिनाँक 14 अगस्त, 2023 से 22 सितम्बर, 2023 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम त्रैमास (माह अप्रैल, 2023 से जून, 2023 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल- agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नं.- 0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) या 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-2002 से 2022-2023 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेषण सुनिश्चित करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी. बिल का समायोजन भी महालेखाकार कार्यालय में सम्भव हो सके। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखा मिलान कार्य दिनाँक 22 सितम्बर, 2023 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-23/2023/बी-2-468(1)/दस-2023-आर-2/2016 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/29801 दिनाँक 18 जुलाई , 2023 के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 23/2023/बी-2- 468 /दस-2023-आर-2/2016 दिनाँक 28 जुलाई, 2023

वित्तीय वर्ष 2023-2024 से सम्बन्धित माह अप्रैल, 2023 से जून, 2023 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1	आबकारी	14.08.2023
2	आवास	
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5	ऊर्जा	16.08.2023
6	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7	रेशम विभाग	
8	कृषि विभाग	
9	परती भूमि विकास	17.08.2023
10	समन्वय विभाग	
11	कृषि विपणन विभाग	
12	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13	ग्राम्य विकास विभाग	18.08.2023
14	भूगर्भ जल विभाग	
15	लघु सिंचाई	
16	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17	पंचायती राज विभाग	21.08.2023
18	पशुधन	

19	दुग्ध विकास	
20	मत्स्य	22.08.2023
21	सहकारिता	
22	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23	खाद्य एवं रसद	23.08.2023
24	खेल एवं युवा कल्याण	
25	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	
26	गृह (कारागार)	24.08.2023
27	गृह (पुलिस)	
28	नागरिक सुरक्षा	
29	राजनीतिक पेंशन	25.08.2023
30	गृह (गोपन)	
31	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32	परिवार कल्याण विभाग	28.08.2023
33	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	
34	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	29.08.2023
36	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37	नगर विकास	
38	28.08.2023	30.08.2023
39	नागरिक उड्डयन	
40	भाषा	
41	नियोजन	01.09.2023

42	निर्वाचन	
43	न्याय	
44	परिवहन	04.09.2023
45	पर्यावरण	
46	पर्यटन विभाग	
47	प्रशासनिक सुधार	05.09.2023
48	प्राविधिक शिक्षा	
49	अल्पसंख्यक कल्याण	
50	महिला एवं बाल विकास	06.09.2023
51	राजस्व	
52	सहायता एवं पुनर्वास	
53	राष्ट्रीय एकीकरण	08.09.2023
54	लोक निर्माण	
55	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56	वन	
57	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	11.09.2023
58	विधान परिषद सचिवालय	
59	विधान सभा सचिवालय	
60	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61	वित्त विभाग	12.09.2023
62	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63	बेसिक शिक्षा	
64	माध्यमिक शिक्षा	

65	उच्च शिक्षा	13.09.2023
66	श्रम	
67	सचिवालय प्रशासन	
68	कार्यक्रम कार्यान्वयन	14.09.2023
69	विकलांग कल्याण	
70	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71	समाज कल्याण	15.09.2023
72	जनजाति कल्याण	
73	सतर्कता विभाग	
74	सामान्य प्रशासन	18.09.2023
75	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76	सार्वजनिक उद्यम	
77	सूचना	19.09.2023
78	संस्थागत वित्त	
79	स्टाम्प एवं पंजीयन	20.09.2023
80	मनोरंजन कर	
81	सैनिक कल्याण	
82	व्यापार कर	21.09.2023
83	सांस्कृतिक कार्य	
84	सिंचाई एवं जल संसाधन	
85	उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखामिलान न करा पाये हो	22.09.2023

वी-2-468/2म-2023

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उ0प्र0, प्रयागराज
Office of the Principal Accountant General (Accounts & Entitlement)-I
U.P., Prayagraj

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक: टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/ 2980। दिनांक: 18/07/23

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वित्त)
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ-226001

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम त्रैमास **(04/2023 से 06/2023)** के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का लेखा मिलान के सम्बन्ध में |

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आकड़ों के लेखा मिलान के क्रम में लेखा माह **अप्रैल, मई एवं जून - 2023** के लेखांकित आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिए **दिनांक: 14/08/2023 से 22/09/2023** तक की अवधि निर्धारित की गयी है |

विस0(AO)

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से समस्त नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह निम्न ई मेल अथवा फ़ैक्स न. पर अपने विवरण एवं संबन्धित अभिलेख सीधे इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि लेखे का मिलान निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जा सके |

निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
वित्त एवं वित्त आयुक्त, संस्थागत वित्त
एवं वाह्य सहायतित परियोजना विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

ईमेल आई डी: agaeuttarpradesh1@cag.gov.in

फ़ैक्स न.: 1. 0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ)
2. 0532-2421987

लेखा मिलान कार्य हेतु निम्न अभिलेख भेजा जाना सुनिश्चित करेगें-

4. डी.डी.ओ. रिकंसिलियेसन शीट
5. बी.एम.-4
6. बी.एम.-13

वी जी-2

25.07.2023

उपरोक्त के अतिरिक्त नियंत्रक अधिकारियों को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि इस कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-2002 से 2022-2023 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लंबित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेषण सुनिश्चित करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी. बिल का समायोजन भी इस कार्यालय में संभव हो सके।

श्री विनोद चौधरी
25/07/2023

CamScanner

यह भी अवगत कराना है कि राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc) के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से नहीं कराया जा रहा है |

इस सम्बन्ध में सभी नियंत्रक अधिकारियों को यह भी सूचित करने का कष्ट करें कि यदि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान नहीं कराया गया , तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा तथा महालेखाकार द्वारा पुस्तान्कित आंकड़े अंतिम समझे जायेगें |

कृपया लेखा मिलान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत कार्यक्रम की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी पूर्व में ही अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

भवदीय

उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी.

पंजीकृत

पत्र संख्या:टी.एम.II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आतश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव (वित्त विभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ |
2. विशेष सचिव (वित्त), आय व्ययक, अनुभाग-3 ,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ |
3. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
4. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
5. उपमहालेखाकार (राजकोष एवं वी.एल.सी.) कार्यालय महालेखाकार (ले. व हक़.)-II, उ० प्र०, प्रयागराज |
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखा मिलान, राजकोष समन्वय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व हक़.)-I, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निर्माण समन्वय, कार्यालय महालेखाकार (ले. व हक़.)-II, उ० प्र०, प्रयागराज |

वरिष्ठ लेखाधिकारी / टी.एम.-II

CamScanner